न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 115/2022

वादीगण :—

1. भीकाराम पुत्र शिवराम
2. चन्दरी पुत्री शिवराम
3. नाथी देवी पुत्री शिवराम
4. जेतूडी पुत्री शिवराम जातियान गुर्जर निवासीगण झाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति:—वादीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी सं. — सरकारी पेरोकार।

<u>निर्णय</u> **दिनांक:—** 02/05/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 524 रकबा 72 बीघा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकीन मगरा आयी हुयी है। उपरोक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 524 रकबा 72 बीघा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकीन मगरा में से वादीगण के पिता शिवराम पुत्र भदाराम को सन् 2001 में प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प ग्राम झाक में नियमन की गयी। उक्त नियमन के आधार पर वादीगण के पिता शिवराम पुत्र भदाराम के नाम से नामान्तरकरण संख्या—1410 गैर खातेदारी का स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात वादीगण के पिता का मौके पर कब्जा व काश्त होने के आधार पर गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या—1821 स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त सजरा खानदान के अनुसार वादीगण के पिता शिवराम पुत्र भदारामजी थे, उनकी दावे के पद संख्या—1 की खातेदारी भूमि आयी हुयी है। खातेदार शिवराम पुत्र भदाराम का देहान्त दिनांक 12.02.2016 को हो चुका है। खातेदार शिवराम पुत्र भदाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में स्वीकृत नहीं किया गया है। खातेदार शिवराम उर्फ श्रीराम के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी उसका एक पुत्र वादी संख्या—1 भीकारा तथा तीन पुत्रीयां चन्दरी, नाथीदेवी, जेतूडी है। इनके अलावा अन्य कोई वारिशान शिवराम उर्फ श्रीराम के नहीं है। अतः वादीगण शिवराम उर्फ श्रीराम के वारिशान होने के कारण उनकी खातेदारी भूमि को अपने नाम से घोषित कराने के अधिकारी है। वादीगण के पिता को घर में लाड़ प्यार से श्रीराम पुकारते थे और वादीगण के पिता शिवराम का सरकारी दस्तावेज में उसका नाम शिवराम पुत्र भदाराम लिखा हुआ है। जब वादीगण के पिता शिवराम पुत्र भदाराम को भूमि नियमन की गयी, तब हल्का पटवारी ने भूलवश या त्रुटीवश उनकी गैर खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण संख्या—1410 मे वादीगण के पिता का नाम श्रीराम पुत्र बदाराम दर्ज कर दिया, जबकि वादीगण के पिता शिवराम का सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उसका वास्तविक नाम शिवराम पुत्र भदाराम है। वादीगण के पिता शिवराम के देहान्त के बाद उनकी खातेदारी भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गये और अपने पिता की खातेदारी भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु हल्का पटवारी से निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

बैंक डायरी, सरपंच ग्राम पंचायत झाक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र शिवराम आदि दस्तावेज दिये, लेकिन हल्का पटवारी जी ने उपरोक्त दस्तावेज देखकर बताया कि आपके पिता का नाम सरकारी दस्तावेज में शिवराम पुत्र भदाराम लिखा हुआ है और जमाबंदी में श्रीराम पुत्र बदाराम लिखा हुआ है, जिस पर वादीगण तहसील कार्यालय गये और अपने पिता शिवराम का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु तहसीलदार जी से निवेदन किया और उन्होनें राजस्व रेकर्ड व सरकारी दस्तावेज देखकर वादीगण को कहा कि आपके न्यायालय से सक्षम दावा पेश करके शुद्धि की कार्यवाही को करावें, न्यायालय निर्णय के अनुसार आपके नाम की भूमि दर्ज की जायेगी, पिता का जमाबंदी में नाम गलत दर्ज हो गया है, इस कारण आप इस कारण वादीगण को राजस्व रेकर्ड में अपने पिता श्रीराम पुत्र बदाराम के स्थान पर शिवराम पुत्र भदाराम नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादीगण का पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, भामाशाह कार्ड, आदि सरकारी दस्तावेजों में अपने पिता का नाम शिवराम दर्ज किया हुआ है। वादीगण को अपने पिता की खातेदारी भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। जिसके कारण वादीगण अपनी भूमि पर ऋण नही ले सकते है और न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते है एवं न ही अपने पिता की खातेदारी भूमि को बैचान इत्यादि कर सकते है, इस कारण वादीगण अपने पिता की खातेदारी भूमि को घोषणा के जरिये शुद्धि करवाने के अधिकारी है। वादकारण जब वादीगण के पिता शिवराम पुत्र भदाराम के नाम से गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या–1410 गलत स्वीकृत कर देने पर तथा वादीगण के पिता का देहान्त दिनांक 12.02.2016 को हो जाने पर तथा उनके देहान्त का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु हल्का पटवारी व तहसीलदार बिलाड़ा से सम्पर्क किया लेकिन प्रतिवादी ने जमाबंदी में गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया। वादीगण को वादकारण ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।दावा घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती के लिए होने से तथा विवादग्रस्त भूमि ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा में स्थित होने से दावा माननीय न्यायांलय के क्षेत्राधिकार में है।

अन्त में निवेदन है कि वादीगण को ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 524/9 रकबा 5 बीघा कें राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार श्रीराम पुत्र बदाराम के स्थान पर वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित की जाने का आदेश फरमावें। इसी आशय की घोषित भूमि का राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु का आदेश फरमाया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान जमाबंदी चौसाला 2073 से 2076 के खाता सं. 455 में खसरा नंबर 524/9 रकबा 0.8090 हेक्टयर श्रीराम पुत्र बगदाराम जाति गुर्जर निवासी झाक के नाम दर्ज है। उक्त भूमि मूल खसरा नंबर 524 किस्म गै.मु.मगरा में से 5 बीघा भूमि दिनांक 1.06.2002 को नियमन हुई थी जिसका नामा. सं. 1410 भरा गया। जिसमें श्रीराम पुत्र बदाराम गुर्जर कौम गुर्जर सा.देह गैर खातेदार दर्ज हुआ। नामा. की प्रति संलग्न है। ग्राम झाक के नामा. सं. 1821 के जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश क्रमांक/भू. अ./खातेदारी/08/193 दिनांक 23.01.2008 की पालना में खातेदारी दी गई। नामा. की प्रति संलग्न है। वादी द्वारा अपने पिता के नाम के साक्ष्य के रूप में सरकारी दस्तावेज पहचान पत्र, राशनकार्ड, पासबुक, आधारकार्ड इत्यादि प्रस्तुत कर अपने पिता का नाम शिवराम होना बताया। वादी अपने पिता का नाम श्रीराम के स्थान पर शिवराम करवाना चाहता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम झाक के खसरा नंबर 524/9 रकबा 0.8090 हैक्टयर में दर्ज प्रविष्टि श्रीराम पुत्र बदाराम के स्थान पर शिवराम पुत्र बदाराम

किये जाने में भूमिधारी की सहमति नहीं है। प्रतिवादी की ओर से दांवा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र भीकाराम पुत्र शिवराम का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खसरा नम्बर 524/9 ग्राम झाक , प्रदर्श 2 नामान्तरकरण सं. 1410, प्रदर्श 3 नामान्तरकरण सं. 1821, प्रदर्श 4 राशनकार्ड भीकाराम पुत्र शिवराम, प्रदर्श 5 आधार कार्ड शिवराम पुत्र भदाराम, प्रदर्श 6 मृत्यु प्रमाण पत्र शिवराम पुत्र भदाराम दिनांक 12.02.2016, आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 पहचान पत्र भीकाराम पुत्र शिवराम , प्रदर्श 2 भीकाराम पुत्र शिवराम, प्रदर्श 3 यूको बैंक डायरी भीकाराम पुत्र शिवराम, प्रदर्श 4 आधार कार्ड भीकाराम पुत्र शिवराम, 5 परिवार राशन कार्ड शिवराम पुत्र भदाराम, प्रदर्श 6 आधार कार्ड शिवराम पुत्र भदाराम, प्रदर्श 7 मृत्यु प्रमाण पत्र शिवराम पुत्र भदाराम आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी के पिता का नाम शिवराम पुत्र भदाराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम श्रीराम पुत्र भदाराम के नाम से दर्ज है। खातेदार श्रीराम पुत्र भदाराम के वारिसानों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि शिवराम उर्फ श्रीराम एक ही व्यक्ति है जो भदाराम गुर्जर का जायन्दा पुत्र है। शिवराम उर्फ श्रीराम का देहान्त हो गया है उनके एक पुत्र व तीन पुत्रीयां के अलावा अन्य कोई वारिशान नहीं है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादीगण के पिता का नाम श्रीराम पुत्र भदाराम के स्थान पर शिवराम पुत्र भदाराम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 को स्वीकार किया जाकर ग्राम. झाक तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 524/9 रकबा 5 बीघा के राजस्व रेकर्ड में श्रीराम पुत्र भदाराम के स्थान पर शिवराम पुत्र भदाराम की घोषणा की जाती है। तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बिलाडा को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख को उपरोक्तानुसार अद्यतन किया जाकर मृतक खातेदार शिवराम पुत्र भदाराम के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही करें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी क़द्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 02/05/18 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**
भीकाराम राजस्थान सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 115/2022

निर्णय **दिनांक :–** 02/04/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 को स्वीकार किया जाकर ग्राम झाक तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 524/9 रकबा 5 बीघा के राजस्व रेकर्ड में श्रीराम पुत्र भदाराम के स्थान पर शिवराम पुत्र भदाराम की घोषणा की जाती है। तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बिलाडा को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख को उपरोक्तानुसार अद्यतन किया जाकर मृतक खातेदार शिवराम पुत्र भदाराम के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही करें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 2/4/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			वजह सबूत महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीज़ान		
मीजान					

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा